राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में सदस्य का रिक्त पद

2123. **श्री रमाशंकर कौशिक:** क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में सदस्य का एक पद पिछले 6-7 माह से रिक्त पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो इस पद को अभी तक न भरे जाने के क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) जी, हां।

(ख) यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम द्वारा चलाये गये कार्यक्रम

2124. **श्री रमाशंकर कौशिक:** क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम द्वारा इन वर्गों के उत्थान के लिए चलाये गये कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए प्रस्तावित धनराशि और समय सीमा का ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रमों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। **(नीचे देखिए)**

(ख) वर्ष 1998-99 के लिए स्वीकृतियों का लक्ष्य 150.00 करोड़ रुपए है और इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समय सीमा का जहां तक संबंध है निम्नलिखित पाइंट प्रस्तुत किए गए हैं:—

(1) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम की योजना राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तरीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति निगमों तथा अन्य अनुमोदित एजेंसियों (एस०सी०ए०) के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।

(2) संबंधित राज्य माध्यम एजेंसियों (एस०सी०ए०) द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाते हैं। स्वीकृत मामलों के लिए राज्य माध्यम एजेंसियों को आशय पत्र जारी किए जाते हैं जिसमें योजनाओं के ब्यौरे और स्वीकृतियों के नियम तथा शर्त और निबन्धन होते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा आशय पत्र के जारी करने की तारीख के 90 दिनों के भीतर राज्य माध्यम एजेंसियों को आशय पत्र स्वीकार करना होता है।

(3) प्रत्येक योजना के स्वरूप पर निर्भर करते हुए ऋणस्थगन अवधि निर्धारित की जाती है, इसके अलावा एन एस एफ डी सी द्वारा निर्मुक्ति की तारीख से राज्य माध्यम एजेंसियों को निधियों का उपयोग करने के लिए 90 दिनों की अवधि की अनुमति दी जाती है।

(4) आशय पत्र जारी होने की तारीख से 6 महीनों के भीतर राज्य माध्यम एजेंसियों को परियोनजाओं के वास्तविक कार्यान्वयन के लिए सकारात्मक कदम उठाने होते हैं।

विवरण

वित्तीय कार्यक्रमों के ब्यौरे

सभी प्रकार के आय सृजक कार्यकलापों के लिए सहायता दी जाती है।

(1) आवधिक ऋण सहायता

30.00 लाख रुपए की लागत वाली परियोजनाओं/यूनिटों के लिए आवधिक ऋण सहायता पर विचार किया जाता है जिसमें परियोजना की लागत का अधिकतम 85% तक ऋण एन एस एफ डी सी द्वारा प्रदान किया जाता है।

(2) बीज पूंजी सहायता

राज्य वित्त निगमों/अन्य वित्त संस्थानों से आवधिक ऋण का लाभ ले रहे उद्यमियों को बीज पूंजी सहायता दी जाती है, जो आवधिक ऋण प्रदानकर्ता संस्थानों द्वारा निर्धारित इक्विटी के निर्धारित शेयर लाने में सक्षम नहीं हैं। एन एस एफ डी सी निर्धारित इक्विटी राशि का 80% तक अथवा प्रति यूनिट/लाभ केन्द्र 30.00 लाख, जो भी कम हो, प्रदान करता है।

(3) ब्रिज ऋण

ब्रिज ऋण स्वीकृत निवेश सब्सिडी के लिए अथवा 30.00 लाख रुपए की लागत वाली परियोजनाओं के लिए किसी मान्यता प्राप्त एजेंसी द्वारा स्वीकृत निधियों के किसी अन्य स्रोत के लिए दिया जाता है, परन्तु यह